



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1635]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ़ 20, 1935

No. 1635]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASHADHA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2013

का. आ. 2131(अ).—यतः, मै. जी. पी. रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य के ग्राम बहरामपुर, बलोला एवं बंधवारी, तहसील सोहना, जिला गुडगाँव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 24 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3043(अ) एवं 31 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 199(अ) में क्रमशः 36.3744 हेक्टेयर एवं 0.3919 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 25 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1171(अ) में 8.096 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अनधिसूचित किया;

और यतः, मै. जी.पी. रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.8630 हेक्टेयर के क्षेत्र को आगे अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.8630 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 25.8093 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	पिछली अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	खेवट / खाता संख्या	आयत संख्या	किला संख्या	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिमाणी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1.	बलोला	का.आ. 3043(अ) 24.12.2010	340/352	56	21/2	0.1695	0.1695	0.00
2.			340/352	56	22/1	0.0278	0.0278	0.00
3.		का.आ. 3043(अ) 24.12.2010 और का.आ. 1171(अ) 25.04.2013	118/122	61	7	0.3085	0.3085	0.00
4.		का.आ. 3043(अ) 24.12.2010 और का.आ. 1171(अ) 25.04.2013	121/125	61	14	0.3085	0.3034	0.0051
5.		का.आ. 3043(अ) 24.12.2010	68/68	61	6/2	0.1796	0.1796	0.00
6.			68/68	61	15	0.4047	0.3996	0.0051
7.			340/352	62	1	0.4047	0.4047	0.00
8.			340/352	62	2/1	0.1821	0.1821	0.00
9.			340/352	62	2/2	0.1846	0.1846	0.00
10.			185/190	62	10/1/1	0.2631	0.2631	0.00
11.			185/190	62	10/1/2	0.0961	0.0961	0.00
12.			185/190	62	9/1	0.3440	0.3440	0.00
13.				कुल		2.8732 (हेक्टेयर)	2.8630 (हेक्टेयर)	0.0102 (हेक्टेयर)
14.							उपर्युक्त मिटाने के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	25.8093 (हेक्टेयर)

[फा. सं. एफ. 1/3/2007-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2013

S.O. 2131(E).—WHEREAS, M/s. G.P. Realtors Private Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Villages Beharampur, Balola and Bandhwari, Tehsil - Sohna, District Gurgaon in the State of Haryana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified the areas of 36.3744 hectares and 0.3919 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 3043(E) dated 24th December, 2010 and S.O. 199(E) dated 31st January, 2012 and de-notified an area 8.096 ha vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 1171(E) dated 25 April, 2013 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. G.P. Realtors Private Limited, has now proposed for further de-notification of 2.8630 hectares at the above Special Economic Zone.

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 2.8630 hectares, thereby making resultant area as 25.810 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

S.No.	Village	Previous Notification Number with date	Khewat/Khata No.	Rect No.	Killa No.	Notified Area (in hectares)	Area being denotified (in ha)	Resultant Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1.	Balola	S.O. 3043 (E) 24.12.2010	340/352	56	21/2	0.1695	0.1695	0.00
2.			340/352	56	22/1	0.0278	0.0278	0.00
3.		S.O. 3043 (E) 24.12.2010 and S.O. 1171(E) 25.04.2013	118/122	61	7	0.3085	0.3085	0.00
4.		S.O. 3043 (E) 24.12.2010 and S.O. 1171(E) 25.04.2013	121/125	61	14	0.3085	0.3034	0.51
5.		S.O. 3043 (E) 24.12.2010	68/68	61	6/2	0.1796	0.1796	0.00
6.			68/68	61	15	0.4047	0.3996	0.0051
7.			340/352	62	1	0.4047	0.4047	0.00
8.			340/352	62	2/1	0.1821	0.1821	0.00
9.			340/352	62	2/2	0.1846	0.1846	0.00
10.			185/190	62	10/1/1	0.2631	0.2631	0.00
11.			185/190	62	10/1/2	0.0961	0.0961	0.00
12.			185/190	62	9/1	0.3440	0.3440	0.00
				Total		2.8732 (ha)	2.8630 (ha)	0.0102 (ha)
							Net Area of SEZ after above deletion	25.8093 (ha)

[F. No. F. 1/3/2007-SEZ]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.